न्यायालय, मुंसिफ बनमनखी (पूर्णियाँ)

T.S 13/2020

13.01.2023 उभय पक्षो की ओर से हाजरी दी गई। वाद पुकार कराया गया। वाद पुकार पर उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ न्यायालय में उपस्थित हुए।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता दिनांक–12.12.2022 को दाखिल अभिवचन संशोधन आवेदन अन्तर्गत आदेश–6 नियम–17 को संचालित करते हुए कथन करते है कि दिनांक–07.11.2022 को दाखिल लिखित कथन के साथ संलग्न Statement of address में कुछ प्रतिवादी का नाम टंकणीय गलती के कारण नहीं लिखा गया है। इस संशोधन से वाद की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अन्त में निवेदन करते है कि उक्त आवेदन को स्वीकार करने की कृपा की जाय।

वादी के विद्वान अधिवक्ता कथन करते है कि उन्हें इस आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल नहीं करना है। उक्त आवेदन को स्वीकृत यदि किया जाता है तो उन्हे कोई आपत्ति नहीं है।

सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रतिवादी द्वारा प्रस्तावित संशोधन किये जाने से वाद की प्रकृति में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हो रहा है। अतः ऐसी परिस्थिति में प्रतिवादी की ओर से दाखिल उक्त संशोधन आवेदन को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। प्रतिवादी को निर्देश दिया जाता है कि विहित समय के अन्दर अपने लिखित कथन में संशोधन करे।

वाद दिनांक–20.01.2023 वास्ते उक्त आदेश का पालन एवं अग्रतर कार्यवाही हेतु। उभय पक्ष को निर्देश दिया जाता है कि अगली नियत तिथि को सदेह न्यायालय में उपस्थित रहे।

लेखापित

मुंसिफ